भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3905

मंगलवार, 11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाएं

3905. श्री धर्मेन्द्र यादवः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा वर्ष-वार और श्रेणी-वार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के के रूप में वर्गीकृत संचालित विभिन्न औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाओं के तहत लाभान्वित व्यक्तियों और संस्थाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कुल ऐसे लाभार्थियों में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लाभार्थियों का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या उक्त वर्ग-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): उद्योग राज्य का विषय है। केंद्र सरकार देशभर में उद्योग के समग्र विकास और संवर्धन के लिए विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रयासों में पूरक सहयोग प्रदान करती है। भारत सरकार 14 उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमों; क्षेत्र-विशिष्ट स्कीमों, जैसे उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण (उन्नति) स्कीम और केंद्रीय क्षेत्र की नई स्कीम (एनसीएसएस), 2021; तथा इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण स्कीम (ईसीएमसी) जैसी क्षेत्र-विशिष्ट स्कीमों को लागू करती है, जिन्हें भारत सरकार के संबंधित विभागों/मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इन स्कीमों के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) या अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित व्यक्ति, यदि कोई हो, तो ऐसे व्यक्तियों के स्वामित्व/उनके द्वारा संचालित इकाइयां भी, प्रत्येक स्कीम के लिए निर्धारित निबंधन एवं शर्तों तथा दिशानिर्देशों को पूरा करने पर, इन स्कीमों के अंतर्गत प्रोत्साहन और लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हैं। स्कीमों के अंतर्गत लाभार्थियों का श्रेणी-वार (एससी/एसटी/ओबीसी) विवरण नहीं रखा जाता है।
